झारखण्ड सरकार

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या प्र 19/ऊ0वि0 15/03 ..../ रांची, दिनांक....................../2010

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 166 (5) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक जिला में विभागीय अधिसूचना पत्रांक 280 दिनांक 16.02.2006 के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

1. प्रत्येक जिले में विद्युतीकरण के विस्तार को समन्वित करने एवं पुनर्विलोकित करने;
2. पावर प्रदाय की मात्रा और उपभोक्ता संतुष्टि को पुनर्विलोकित करने;
3. ऊर्जा दक्षता और इसकी संरक्षण की अभिवृद्धि करने;

इस समिति की संरचना निम्नवत् होगी :-

1. उपायुक्त	अध्यक्ष
2. जिला के माननीय सांसद	सदस्य
3. जिला के सभी माननीय विधायक	सदस्य
4. जिला के बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष	सदस्य
5. उप विकास आयुक्त	सदस्य
6. जिला में पदस्थापित जे०एसईबी के कार्यपालक अभियन्ता जो जिला मुख्यालय में पदस्थापित हों	सदस्य सचिव
7. नगर निगम के प्रशासक/ नगरपालिका/ अधिसूचित क्षेत्र के विशेष पदाधिकारी	सदस्य
8. डी०भी०सी० कमान्ड एरिया में पदस्थापित विद्युत अभियन्ता (कार्यपालक अभियन्ता के न्यून स्तर का नहीं)	सदस्य
9. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यरत डी0भी0सी0/एनटीपीसी/आर0ई0सी0 के पदाधिकारी	सदस्य
10. चेम्बर ऑफ कामर्स एवं इन्डस्ट्रीज के अध्यक्ष/ सचिव	सदस्य
11. राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिला में मनोनीत दो व्यक्ति	सदस्य
12. उपायुक्त द्वारा मनोनीत जिला के लब्ध प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्था के अध्यक्ष/ सचिव	सदस्य
13. उपायुक्त द्वारा मनोनीत जिला के प्रतिष्ठित डाक्टर अधिवक्ता/ समाजिक कार्यकर्त्ता/ बुद्धिजीवी वर्ग से दो प्रतिनिधि	सदस्य
14. उपायुक्त अथवा राज्य सरकार द्वार मनोनीत जिला के एक कृषक प्रतिनिधि एक लघु उद्योग के प्रतिनिधि एक महिला प्रतिनिधि तथा जिला उपभोक्ता फोरम के एक सदस्य	सदस्य

....

यह समिति प्रत्येक तिमाही कम से कम एक बार बैठक आयोजित कर कार्यों की समीक्षा करेगी तथा ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रतिवेदन देगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(एन०एन० पाण्डेय)
सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांक प्र 19/ऊ0वि0 15/03 ..../ राँची, दिनांक........................./2010

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राज्य गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि प्रकाशनोपरांत गजट अधिसूचना की 200 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह०/–
(एन०एन० पाण्डेय)
सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांक प्र 19/ऊ0वि0 15/03 ..../ राँची, दिनांक........................./2010

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ महामहिम राज्यपाल के सलाहकार (तीनों) के सचिव/सरकार के सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, शक्ति भवन, नई दिल्ली/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/ सभी उपायुक्त/ सभी उप विकास आयुक्त/ सभी माननीय सांसद/सभी विधायक/ अध्यक्ष, जे०एस०ई०बी०, राँची/अध्यक्ष, डी०वी०सी०, डी०वी०सी० टावर, कोलकाता/ अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, आर०ई०सी०, लोदी रोड, नई दिल्ली/ सी०ई०ओ०, एन०टी०पी०सी०, नई दिल्ली/ सभी संबंधित सदस्यों/ पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(एन०एन० पाण्डेय)
सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांक प्र 19/ऊ0वि0 15/03 1132/ राँची, दिनांक 3.07./2010

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,